प्रस्तावना

इस प्रतिवेदन में सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों की 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षा परिणामों का उल्लेख किया गया है।

सरकारी कम्पनियों (कम्पनी अधिनियम के अनुसार मानी गई सरकारी कम्पनियों सहित) के लेखों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा की जाती है। कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखाकारों (सनदी लेखाकारों) द्वारा प्रमाणित लेखों की पूरक लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जानी होती है एवं सीएजी सांविधिक लेखाकारों के प्रतिवेदनों पर अपनी टिप्पणियां/पूरक टिप्पणियां देता है। इसके साथ ही, सीएजी द्वारा इन कम्पनियों की नमूना लेखापरीक्षा भी की जाती है।

सरकारी कम्पनी अथवा निगम के लेखों के संबंध में प्रतिवेदनों को सीएजी द्वारा सरकार को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के प्रावधानों के अधीन राजस्थान सरकार को राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखवाने हेतु प्रस्तुत की जाती है।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जो एक सांविधिक निगम है, के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एक मात्र लेखापरीक्षक है। राजस्थान राज्य भण्डारव्यवस्था निगम के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकारों द्वारा की गई लेखापरीक्षा के अतिरिक्त भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को उनके लेखों की लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। राज्य वित्त निगम (संशोधन) अधिनियम, 2000 के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को राजस्थान वित्त निगम के लेखों की लेखापरीक्षा करने का अधिकार है, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित अंकेक्षकों के पेनल में से निगम द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकारों द्वारा की गई लेखापरीक्षा के अतिरिक्त होगी। इन समस्त निगमों के वार्षिक लेखों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य सरकार को अलग से अग्रेषित किये जाते है।

इस प्रतिवेदन में उन मामलों को समाविष्ट किया गया है जो वर्ष 2013-2014 में की गई लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये एवं उन मामलों को भी सम्मिलित किया गया है जो गत वर्षों में ध्यान में आये थे परन्तु उनका उल्लेख गत प्रतिवेदनों में नहीं किया गया था। 31 मार्च 2014 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी, जहां आवश्यक था, सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की गई है।